न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2018 – रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जहाजपुर –प्रार्थी

बनाम

श्री रामचन्द्र पिता हीरा मीणा निवासी टोला तहसील जहाजपुर –विपक्षी

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामनिवास गुप्ता, अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.06.2

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.अ 5280/2015/ भीलवाडा सरकार बनाम रामचन्द्र मीणा निर्णय दिनांक 16.08.2017 इस है– प्रार्थी तहसीलदार, जहाजपुर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा ह अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत कराते हुये अनुरोध किया कि झीकंली तहसील जहाजपुर के आराजी नं0 93/1 रकबा 0.12 बीघा किस्म बारानी II, जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में बिलानाम सरकार दर्ज होकर किस्म नाला–नाली उपयो थी। आदेश क्रमांक 2728/1970 दिनांक 01.01.1971 नामान्तरकरण सं0 41 दिनांक 13.07 से उक्त आराजी नं0 93/1 रकबा 0.12 बीघा भूमि आवंटी के नाम दर्ज की गई। राज काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते हैं। म राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार गये निर्देशों के अनुसार ऐसी गे.मु. भूमियों की दिनांक 15.08.1947 की स्थिति कायम की आवश्यक हैं। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 के दिन क्या स्थिति थी, इससे कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वर्ष 1947 अर्थात सवंत् 2004 की स्थिति को वाला कोई भी राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं कि विवादित भूमि की वर्ष 1947 में क्या स्थिति थी। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति किया जाता हैं कि मामले की पुनः जांच कर दिनांक 15.08.1947 से संबंधित राजस्व अ को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः म प्रेषित किया जावे।

निर्णय दिनांक 16.08.2017 के निर्देशानुसार तहसीलदार जहाजपुर प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2019 से प्राप्त अनुसार –

1. ग्राम झींकली पटवार मण्डल धौड़ तहसील जहाजपुर के संवत् 1980 भू प्रबन्ध व

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

के नक्शे की प्रति एवं तत्पश्चात् हुये भू प्रबन्ध वर्ष 1959 संवत् 2016 के नक्शे का मिला अनुसार आराजी नं. 433 रकबा 14.08 बीघा भूमि के आराजी नं. 93, 323, 408, 665 689, 760 रकबा 19.15 बीघा में से आराजी नं. 93 रकबा 7.00 बीघा दर्ज हुये।

2. महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड़ उदयपुर की जमाबन्दी बन्दोबस्त सन् 1923 संवत् 1980 आराजी नं. 433 रकबा 14.08 बीघा नाला दर्ज है। आराजी नं. 433 रकबा 14.08 बी जमाबन्दी चौसाला संवत् 2013–16 , 2017–2020 में बिलानाम नदी नाले के रूप में द हैं।

3. आराजी नं. 93 रकबा 7.00 बीघा किस्म नाला नाली में से मिसल नं. 2728/1970 दिनांक 01.01.1971 को रकबा 0.12 बीघा भूमि अप्रार्थी को आंवटन होने से नामान्तक सं. 41 दिनांक 13.07.1972 से गैर खातेदारी दर्ज हुयी।

4. वर्ष 1923 के बाद भू प्रबन्ध मे आराजी नं. 433 रकबा 14.08 किस्म नाला भू प्रबन्ध 1959 में आराजी नं. 93, 323, 408, 665, 689 व 760 किता 06 रकबा 19.15 बीघा कि नाला नाली बने हैं। इसी आराजी नं. में से आराजी नं. 93 रकबा 7.00 बीघा किस्म न नाली में आवंटन किया है। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 16 से प्रतिबन्धित भूमियों में से किया गया है।

5. रेफरेन्स प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल में निर्णय दिनांक 16.08.2017 में दिनांक 08.1947 के रिकार्ड की स्थिति अभिलिखित कराने हेतु तहसील कार्यालय, कार्यालय एवं भू प्रबन्ध विभाग में रिकार्ड तलाश कराया गया, परन्तु वर्ष 1923, 1956–1959, 1960–1963 का रिकार्ड ही उपलब्ध हैं। वर्ष 1947 का कोई रिकार्ड मिला है। जिससे प्रकरण में वांछित 15.08.1947 का रिकार्ड अभिलेख पर अभिलि करना सम्भव नही हैं।

6. अप्रार्थी को भूमि आंवटन दिनांक 01.01.1971 को ही मिसल बन्दोबस्त संवत् 1959 (संवत् 2022–2041) में ही किस्म नाला नाली दर्ज रिकार्ड थी। जिसका अ काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने के ब आंवटन किया गया जो खारिज योग्य हैं।

निर्णय करने से पूर्व विवादित आराजी के वर्ष 1947 अर्थात सवंत् 200 स्थिति को दर्शानें वाला कोई भी राजस्व अभिलेख पत्रावली पर देखा जाना हैं संदर्भ में तहसीलदार शाहपुरा से आराजी के वर्ष 1947 अर्थात सवंत् 2004 की स्थि दर्शानें वाला कोई भी राजस्व अभिलेख तलब किये जाने पर उनके पत्रांक/भू.अ./ दिनांक 03.05.2019 के द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया गया कि " त कार्यालय, जिला कार्यालय एवं भू प्रबन्ध विभाग में रिकार्ड तलाश कराया गया, पर 1923, 1959, 1956–1959, 1960–1963 का रिकार्ड ही उपलब्ध हैं। वर्ष 1947 क रिकार्ड नही मिला है। जिससे प्रकरण में वांछित 15.08.1947 का रिकार्ड अभिले अभिलिखित करना सम्भव नही हुआ हैं। "

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर (राज.)

तहसीलदार जहाजपुर के प्रतिवेदन में ग्राम झींकली तहसील जहाजपुर के हाल आराजी नं. 93 रकबा 7.00 बीघा के साबिक आराजी नं. 433 रकबा 14.08 बीघा भूमि की किस्म नाला संवत् 1980 सन् 1923 को दर्ज रिकार्ड होना अंकित किया हैं, जो दिनांक 15.08.1947 से पूर्व का हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग की किस्म नाला–नाली अंकित थी। ऐसी भूमि के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार होकर आवंटन आदेश व संस्थित किए गए नामान्तरकरण को निरस्त कराया जाना युक्ति–युक्त हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, जहाजपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम झींकली तहसील जहाजपुर के साबिक आराजी नं. 433 रकबा 14.08 बीघा किस्म नाला के हाल आराजी नं. 93 रकबा 7.00 बीघा किस्म नाला में आवंटित 0. बिस्वा भूमि रामचन्द्र पिता हीरा मीणा सा. टोला के नाम से खारिज कर पुनः आराजी 93 रकबा 0.12 बिस्वा किस्म नाला बिलानाम दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्ड राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाडा